

कार्यालय कलेक्टर, जिला निर्माण समिति

जिला – बीजापुर, (छत्तीसगढ़)

दूरभाष कार्यालय 07853/220022, फ़ैक्स 220019

Website : www.bijapur.gov.in

क्रमांक / 217 / कले. / स्टेनो ए / जि.नि.स. / 2018-19

बीजापुर, दिनांक 02/05/2018

प्रति,


संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय,
छत्तीसगढ़ शासन, ब्लॉक-ए, भूतल इन्द्रावती भवन,
कैपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : प्रदेश एवं राष्ट्र स्तरीय बहुप्रसारित समाचार पत्रों में संक्षिप्त निविदा सूचना प्रकाशन के संबंध में।

—:00:—

विषयांतर्गत लेख है कि बीजापुर जिले में संचालित DAV मुख्यमंत्री विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को समय पर विद्यालय पहुँचने एवं आवागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 03 नग स्कूल बस (BS-IV, 50+1 सीटर Non-AC Diesel Yellow Colour) कय किया जाना है। जिसके लिये खुली निविदा आमंत्रण हेतु निविदा की शर्तें व अनुदेश एवं निविदा फार्म बीजापुर जिले के वेबसाइट www.bijapur.gov.in में अपलोड किया जा रहा है। उक्त निविदा की सूचना दो प्रादेशिक एवं दो राष्ट्रीय बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु पत्र आपकी ओर भेजा जा रहा है। कृपया संक्षिप्त निविदा की सूचना प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।



कलेक्टर,
जिला – बीजापुर (छ.ग.)

पृ.क्र./217 A/कले./स्टेनो ए/जि.नि.स./2018-19

बीजापुर, दिनांक 02/05/2018

प्रतिलिपि : 1. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय बीजापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बीजापुर को सूचनार्थ एवं जिला बीजापुर के शासकीय वेबसाइट में निविदा पत्र अपलोड करने हेतु पालनार्थ।


कलेक्टर,
जिला – बीजापुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला निर्माण समिति

जिला - बीजापुर, (छत्तीसगढ़)

दूरभाष कार्यालय 07853/220022, फ़ैक्स 220019

Website : www.bijapur.gov.in

--: संक्षिप्त निविदा सूचना :-


क्रमांक/११९/कले./स्टेनो ए/जि.नि.स/2018-19

बीजापुर, दिनांक 02/05/2018

बीजापुर जिले में संचालित JAV मुख्यमंत्री विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को समय पर विद्यालय पहुँचाने एवं आवागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 03 नग स्कूल बस (BS-IV, 50+1 सीटर Non-AC Diesel Yellow Colour) क्रय किये जाने हेतु जिला निर्माण समिति, बीजापुर की ओर से निर्माताओं व उनके अधिकृत विक्रेताओं से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत (आयकर प्रमाण पत्र सहित) कर एवं रू. 500/- अक्षरीय-रू.पांच सौ मात्र/- नगद भुगतान कर दिनांक 01/06/2018 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि	:-	01/06/2018 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	:-	02/06/2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:-	02/06/2018 अपरान्ह 4.00 बजे तक

वांछित बसों की Specifications, शर्तें व अनुदेश, धरोहर राशि इत्यादि की जानकारी कार्यालय में अथवा बीजापुर जिले के शासकीय वेबसाईट www.bijapur.gov.in में प्राप्त किये जा सकते हैं।


कलेक्टर,
जिला - बीजापुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला निर्माण समिति, जिला-बीजापुर छत्तीसगढ़


स्कूल बस प्रदाय हेतु निविदा फार्म
शर्तें व अनुदेश

मूल्य : 500/- रुपये

- कुल 03 स्कूल बसों के लिए निविदा आमंत्रित किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-
न्यूनतम 50+1 सीटर BS-IV स्कूल बस (डीजल, पीला रंग) – 03 बस (Non-AC) Colour – Yellow With Complete Seating Arrangements. (To be mentioned all technical specifications in Tender Form)
- कय किये जाने वाले बसों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है।
- सभी वाहन जांच में उपयुक्त एवं निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप पाये जाने पर ही डिलीवरी स्वीकार की जावेगी। वाहन पर न्यूनतम चार वर्ष या 3,00,000 किमी. तक की वारंटी देनी होगी।
- उक्त वाहन का आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन व इश्योरेंस का कार्य भी आपके द्वारा ही संपन्न करवाना होगा।
- सभी बसों को इस कार्यालय में सुरक्षित पहुंचाना होगा। परिवहन का पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा। स्वीकृत दर पर ही वाहन को उक्त स्थल तक पहुंचाना होगा। साथ Transit Insurance से संबंधित राशि अलग से इस कार्यालय से देय नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- आयकर कार्यालय से फर्म का समाशोधन प्रमाण पत्र (Clearance Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
- वाणिज्यिक कर विभाग में एवं उद्योग विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र निम्नानुसार अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना अनिवार्य है :-
 - Last Three Year Turnover Statements
 - Pollution & Exhaust Gas Certificate
 - Transport Authority approval certificates for each type of Bus.
 - Authority/Dealership Certificates.
- निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- कार्य आदेश के एक माह के भीतर सामग्री निर्धारित स्थलों पर प्रदाय करना होगा। सुरक्षा निधि के रूप में 'Collector, District - Bijapur(C.G.)' के नाम से देय रूपये 2,00,000/- अक्षरीय-रु. दो लाख मात्र/- का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जमा करना होगा।
- निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफा में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा होना चाहिये, तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिये। पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण-पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा पत्र वाले को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 02.06.2018 अपराह्न 3.00 बजे तक होगी।
- निविदा संलग्न निविदा प्रपत्र में ही भरकर प्रस्तुत किया जाना होगा। निर्धारित प्रपत्र से भिन्न किसी अन्य प्रकार के फार्म में प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा प्रपत्र में यह सब जानकारी

पूर्णरूपेण और सही-सही भरी जानी चाहिए, जो वांछित है। उसके अभाव में यह अपूर्ण होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. कलेक्टर, जिला-बीजापुर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को कारण बताए बिना स्वीकार या अस्वीकार कर दें।
12. वाहन प्रदाय समय पर पूर्ण कर सकने बायल फर्म की क्षमता के संबंध में कलेक्टर, जिला-बीजापुर का निर्णय अंतिम होगा।
13. यदि कलेक्टर, बीजापुर को ऐसा लगे कि फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे दिया गया कार्य पूरा नहीं कर पाएगा तो वह कार्य को पूर्णतः या अंशतः उससे तत्काल वापस ले सकेगा और अन्यत्र कर सकेगा। इस पर जो भी अतिरिक्त व्यय आएगा वह त्रुटिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा। अतिरिक्त व्यय के संबंध में कलेक्टर का विनिश्चित अंतिम एवं बंधनकारक होगा।
14. वाहन प्रदाय में विलंब के लिए अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड की दरें निम्नानुसार होंगी :-
 1. प्रथम सप्ताह के दौरान प्रतिदिन के विलंब के लिए 5 प्रतिशत।
 2. प्रथम सप्ताह के पश्चात् प्रतिदिन के विलंब के लिए 10 प्रतिशत।
15. निविदाकर्ता को उक्त वाहन प्रदाय के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। इस संबंध में उसे स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. वाहन प्रदाय अवधि क्रय-आदेश की तिथि से अधिकतम 30 दिवस की होगी।
17. निविदा प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर, जिला निर्माण समिति, बीजापुर में रु. 500.00 (पांच सौ) रुपये जमा कर दि. 01.06.2018 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।


कलेक्टर,
जिला -बीजापुर (छ.ग.)